

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (ज़िला): STATE VIGILANCE AND P.S.(थाना): MANDI Year(वर्ष): 2022
FIR No(प्र.सू.रि.सं.): 0001 Date & Time of FIR (एफआईआर की तिथि / समय): 29/03/2022 09:00 PM

2. S.No.(क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धारा(एँ))
1	NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES ACT, 1985	18

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): Tuesday Date From(दिनांक से): 29/03/2022 Date To(दिनांक तक): 29/03/2022
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): 12:30 PM Time To (समय तक): 06:15 PM
(b) Information received at P.S.(थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date(दिनांक): 29/03/2022 Time (समय): 08:15 PM
(c) General Diary Reference (रोजानामचा संदर्भ): Entry No.(प्रविष्टि सं.): 019 Time (समय): 29/03/2022 08:27 PM

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S (थाना से दूरी और दिशा): NORTH-EAST, 22 Km(s) Beat No(बीट सं.):
(b) Address(पता): Dangar PO Riyagdri, Sadar Mandi
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
Name of P.S(थाना का नाम): District(State)(ज़िला(राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): Sanjay Kumar
(b) Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 25/12/1984 (d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA
(e) UID No (यूआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):
(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type(पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number(पहचान संख्या)
----------------	-------------------------------	-------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	VILLAGE- SV ACB MANDI, PS-MANDI, DISTRICT-STATE VIGILANCE AND ANTI-CORRUPTION BUREAU (SV & ACB), STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA
2	Permanent Address	VILLAGE- SV ACB MANDI, PS:MANDI, DISTRICT-STATE VIGILANCE AND ANTI-CORRUPTION BUREAU (SV & ACB), STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (जात/ संदिग्ध /अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)	Parmanent Address (स्थायी पता)
1	raj kumar raj kumar		VILLAGE-Dangar PO riyagdri,PS-PADHAR,DISTRICT-MANDI,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA	VILLAGE-Dangar PO riyagdri,PS-PADHAR,DISTRICT-MANDI,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Nature Property (प्रकृति संपत्ति)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
1	DRUGS/NARCOTIC DRUGS	PLANT POD - POPPY	INVOLVED IN A CASE/CRIME		

10.Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11.Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण नं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी.संख्या)
-----------------	----------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

इस समय दर्ज है कि आ० अमित कुमार रफता व हवाला रफत न० 19 रोजनामचा इमरोजा मुकाम डंगाहर से हाजिर थाना आया है व एक अदद रुका जेर धारा 18 ND&PS Act लिखित नि० सजय कुमार अन्वेषणाधिकारी वर खिलाफ राजकुमार कुमार पुत्र काशी राम गांव डंगाहर अपने हमराह लाया है। जिसकी तफसील जेल है। सेवा में प्रभारी, पुलिस स्टेशन रा० स० एवं भ० रो० व्यूरो, मण्डी, जिला मण्डी (हि० प्र०) राजकीय कार्य से निवेदन है कि मन निरीक्षक मय उप- निरीक्षक दुनी चन्द, H/ASI रमेश कुमार, आरक्षी अमित कुमार, HHG लच्छी राम न० 6/6-104 व सवारी गाडी सरकारी नम्बरी HP 03C- 7912 जेर चालक HHC हीरा लाल के व हवाला रफत न० 09 दिनांक 28-03-22 के BJP Chargesheet शिकायत पत्र संख्या 27/18 की जांच हेतु वन रेंज इलाका कटौला का खाना था तथा आज दिनांक 29-03-22 को मन निरीक्षक मय मुलाजमान उप निरीक्षक दुनी चन्द, HASI रमेश कुमार, आरक्षी अमित कुमार, HHG लच्छी राम न० 6/6-104, वन खण्ड अधिकारी श्री रमेश चन्द, वन रक्षक श्रीमती गीता देवी व वन मजदूर इन्दु सिंह के साथ शिकायत पत्र उपरोक्त की जांच के सम्बन्ध में वन वीट कमान्ड में मौजूद डंगाहर(खलधार) गांव की पगडण्डी रास्ते से गुजर रहे थे तो समय करीब 12:30 बजे दिन रास्ते से निचली तरफ मौजूद एक खेत में अफीम के पौधे उगे हुए पाये गये जिनमें कुछ पौधों में सफेद व जामुनी रंग के फूल खिले हुए व कुछ पौधे में हरे डोडे लगना पाये गये। मौके पर जमीन के मालिक व खसरा न० की पताजोही करने हेतु पत्र संख्या SPL-1 दिनांक 29-03-22 नायब तहसीलदार कटौला को आरक्षी अमित कुमार के माध्यम से भेजा गया जिस पर पटवार वृत्त कमान्ड का पटवारी मनोज कुमार व Part Time Worker प्रेम मय राजस्व रिकार्ड हाजिर मौका आये तथा ग्राम पंचायत कोटाहर रियागडी के प्रधान देवी चन्द व वार्ड सदस्य श्रीमती कुशमा देवी मोबाइल के माध्यम से बुलाने पर मौके पर हाजिर आये। हल्का पटवारी द्वारा राजस्व रिकार्ड चेक करने पर अफीम खेती वाली जगह मुहाल डंगार/335 खसरा न० 532 मालिक हि० प्र० सरकार चरगाह विना दरख्तान वतलाया तथा इस खसरा न० 532 के साथ लगते खसरा न० 526 के मालिक श्रीमती फागणी विधवा रूप दास पुत्र श्रीमती शनीचरी, श्रीमति दुर्गा पुत्रीयां श्रीमती निरमू इत्यादि व खसरा न० 529 के मालिक रूप दास पुत्र सोलू, पुत्र लोभु, पुत्र साजू जान चन्द, राजकुमार, भगत राम पुत्र काशी राम पुत्र लोभु एवं स्थानीय निवासी पाये गये मौके पर मौजूद अफीम के पौधे गिनती करने पर 440 पाये गये व इनकी पैमाइश करने पर करीब 3 फुट से 5 फुट की ऊंचाई होना पायी। अफीम पौधों की अवैध खेती को नष्ट करने के लिए एक पत्र संख्या SPL-II दिनांक 29-03-2022 पुलिस अधीक्षक महोदय राज्य सर्तकता एवं भ्रष्टाचार रोधी व्यूरो मण्डी की सेवा में अधीन धारा 48 ND & PS Act वजरिया Whatsapp भेजा गया। मौके पर हल्का पटवारी द्वारा अफीम के खेत की सरसरी पैमाइश करने पर रक्का करीब 0-0-14 विस्वासी बतलाई। मौके पर अफीम के पौधों को उखाड़ा गया तथा तीस हरे पौधे अफीम वतौर नमूना लिये गये जिन्हें एक कपडा पुलिन्दा में डालकर पुलिन्दा को मोहर H की 12 मोहरों से सर्वमोहर किया गया। फार्म NCB Triplicate पुर किये गये जिनके ऊपर भी मोहर H अंकित करी गई। नमूना मोहरें अलग कपडा टुकड़ों पर ली गई। मोहर वाद प्रयोग हवाले गवाह वन खण्ड अधिकारी रमेश चन्द करी गई। कपडा पुलिन्दा सर्व मोहरशुद्धा अफीम पौधों को मय नमूना मोहरों व NCB फार्म के फर्द द्वारा बतौर सबूत कब्जे में लिया गया। सरसरी पुछताछ करने पर इस सरकारी भूमि खसरा न० 532 चरगाह विना दरख्तान में अफीम की खेती उगाने बारे पता किया गया तो राज कुमार पुत्र काशी राम निवासी गांव डंगाहर द्वारा अफीम की अवैध खेती विजाई करना पाया गया। वन खण्ड अधिकारी रमेश चन्द ने बतलाया की उक्त वन वीट कमान्ड का वन रक्षक नितेश कुमार है। फर्द मौके पर तैयार करी गई। फर्द पुलिन्दा कपडा सर्वमोहर व नमूना मोहरों पर श्री रमेश चन्द वन खण्ड अधिकारी कटौला, वन रक्षक श्रीमती गीता देवी, प्रधान देवी चन्द व वार्ड सदस्य श्रीमती कुशमा देवी ने वतौर गवाह अपने अपने हस्ताक्षर किये व राजकुमार ने वतौर अलवद्ध अपने हस्ताक्षर किये। फर्द की प्रति निःशुल्क राजकुमार को प्रदान करी गई। आदेश पत्र संख्या Endst.No. 2689 दिनांक 29-03-22 कार्यालय पुलिस अधीक्षक रा० एवं भ० रो० व्यूरो मण्डी के अनुसार वाकि वचे 410 अफीम के पौधों को मौके पर सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करके आग जलाकर नष्ट किया गया। राजकुमार पुत्र काशी राम निवासी गांव डंगाहर द्वारा खसरा न० 532 सरकारी चरगाह में अफीम की अवैध खेती उगाना जुर्म धारा 18 of ND & PS Act की जद में आना पाया जा रहा है जिसके खिलाफ रक्का तैयार करके अभियोग पंजीकृत करने हेतु वदस्त आरक्षी अमित कुमार के थाना भेजा जा रहा है। अभियोग पंजीकृत करके अभियोग संख्या से सूचित करे। मन निरीक्षक तफ्तीश वर मौका हूँ। व मुकाम गांव डंगाहर व फसाला करीब 22 KM जानिब उत्तर पूर्व अज थाना हस्ताक्षर अग्नेजी संजय कुमार Insp./ I/O P.S SV &ACB Mandi Distt. Mandi Camp At Village Dangahar at 6: 15 कार्यवाही थाना उपरोक्त शिकायत पर अभियोग संख्या 01/22 दिनांक 29-03-22 जेर धारा 18 ND &PS Act वर खिलाफ राजकुमार सपुत्र श्री काशी राम गांव डंगाहर डा० रियागडी तह० सदर मण्डी जिला मण्डी व उम्र 41 वर्ष के पजीकृत थाना किया

गया। इन्द्राज रजिस्ट्रारन मुतलका जाबता किया जा रहा है। मिसल मुकदमा तैयार करके I/O के पास वर मौका पर आरक्षी अमित कुमार के भेजी जा रही है। मुकदमा विशेष नौयत का है इसलिए FIR को ही विशेष रिपोर्ट FIR ही माना जाए तथा प्रिन्टर से FIR की प्रतिया निकालकर इलाका मेजिस्ट्रेट व अफसरानवाला को वजरिया विशेष बाहक LHC अभिनव के भेजी जा रही है।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है।):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): (जांच अधिकारी का नाम): Sanjay Kumar

Rank (पद): INSP. (Inspector)

No(सं.): NA

to take up the Investigation (को जांच आपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.

District(ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित)

F.I.R. read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature/हस्ताक्षर

Signature of Officer in charge, Police Station

(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name(नाम): Vinod Thakur

Rank (पद): INSP. (Inspector)

No(सं.): NA

15. Date and time of dispatch to the court

(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):